1068

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

जसवंत सिंह और मीनाक्षी आई. मेहता, जे. जे. के समुख

बलवान सिंह और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादी 2021 का सीडब्ल्यूपी No.9508

06 मई, 2021

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-उप-प्रभागों द्वारा ऊर्ध्वाधर से क्षेतिज में परिवर्तित हरियाणा राज्य में समूह ए और बी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण-आयोजित, क्षैतिज आरक्षण समग्र आरक्षण या विभाजित आरक्षण हो सकता है और आरक्षित श्रेणियों के बीच समूह ए और बी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के उप-विभाजन का प्रावधान करने वाले विवादित निर्देशों में कुछ भी मनमाना नहीं हो सकता है-आरक्षण संविधान के तहत समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया तंत्र है और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के ऊपर या उसके बराबर कुछ विशेषाधिकारों या लाभों का दावा करने के लिए नहीं है-इसलिए, पूर्व सैनिकों को समस्तरी आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों के अनुरूप माना जाता है।

माना जाता है कि समस्तरीय आरक्षण  सर्वसमावेशी या विभाजित आरक्षण हो सकता है और आरक्षित श्रेणियों के बीच समूह ए और बी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के उप-विभाजन का प्रावधान करने वाले विवादित निर्देशों में कुछ भी मनमाना नहीं है।वास्तव में, अनिल कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, सामान्य श्रेणी से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा आरक्षण को विभाजित करने के लिए की गई चुनौती न केवल प्रति उत्पादक है, बल्कि उनके अपने उद्देश्य के लिए प्रतिकूल है।

(पैरा 17.3) ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि संविधान राज्य को नागरिकों के पिछड़े वर्गों या समाज के अन्य वंचित या कमजोर वर्गों की पहचान करने का अधिकार देता है, जिन्हें आरक्षण, रियायतों, महत्व या छूट के रूप में अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा से अपनी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए तरजीही उपचार की आवश्यकता होती है।समाज के विभिन्न दलित वर्गों के लिए इस सकारात्मक कार्रवाई की सीमा ऐतिहासिक उत्पीड़न या भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक पिछड़ेपन जैसे कई निर्धारकों पर आधारित है।आरक्षण संविधान के तहत समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया गया एक तंत्र है और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के साथ कुछ विशेषाधिकारों या लाभों का दावा करने के लिए नहीं है।(पैरा 19)

बलवान सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य

1069

और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

विवेक खत्री, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं के लिए।

श्रुति जैन गोयल, उप महाधिवक्ता हरियाणा।

जसवंत सिंह, जे।

(1) दो याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर तत्काल आज्ञा पत्र हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा जारी दिनांकित 23.01.2018 (P-12) के साथ-साथ 30.04.2018 (P13) के निर्देशों के खिलाफ निर्देशित है। चुनौती का एकमात्र आधार यह है कि विवादित निर्देशों के अनुसार, हरियाणा राज्य में समूह ए और बी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को उस विशिष्ट श्रेणी के उप-विभाजन द्वारा शिर्स से समांतरीय में परिवर्तित कर दिया गया है, इस तथ्य की सराहना किए बिना कि एक विशिष्ट श्रेणी से संबंधित व्यक्ति को आरक्षण के भीतर आरक्षण का लाभ दिया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है। प्रतिवादी संख्या 2, हरियाणा लोक सेवा आयोग को कक्षा-I और II के पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत निर्धारित आरक्षण को शीर्स आरक्षण के रूप में लागू करके पूर्व-सैनिक श्रेणी के पदों का पुनः विज्ञापन करने परमादेश देने के लिए एक रिट की भी मांग की गई है।

(2) याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी से संबंधित पूर्व सैनिक हैं।वे प्रतिवादी संख्या 2 हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2021 दिनांक 13.01.2021 (P-14) के माध्यम से विज्ञापित हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद के लिए आवेदक हैं।वर्तमान याचिका में उनकी आपत्ति यह है कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को शीर्ष से समांतरिये में परिवर्तित करके और इसे विभिन्न श्रेणियों यानी अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग (ए और बी) के बीच उप-विभाजित करके, राज्य सरकार ने आरक्षण के भीतर आरक्षण का लाभ दिया है, यानी उर्ध्वाधर आरक्षण के तहत आने वाले आरक्षित श्रेणी के पूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को दोहरा आरक्षण, जबकि इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं जैसे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से संबंधित पूर्व सैनिकों के लिए पहले उपलब्ध लाभ में काफी कटौती की गई है।

(3) याचिकाकर्ताओं के वकील श्री विवेक खत्री ने तर्क दिया है कि हरियाणा राज्य में, शुरू में, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सभी वर्गों के पदों के लिए एक शीर्ष आरक्षण था।इंदिरा साहनी बनाम भारत का संघ 1 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने 1993 (1) एससीटी 448 की अपनी मौजूदा नीति की समीक्षा की:1993(I) SCT 448 1993 SC 477

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों का आरक्षण और दिनांक 20.07.1995 (पी -7). उक्त निर्देशों के अनुसार, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण को क्षैतिज आरक्षण बनाया गया था और इसे आगे अनारक्षित श्रेणी और पिछड़े वर्गों के खंड 'ए' और 'बी' में विभाजित किया गया था।हालांकि, प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण में ऐसा कोई रूपांतरण या परिवर्तन नहीं किया गया था और विवादित निर्देश जारी होने तक यह ऊर्ध्वाधर आरक्षण बना रहा।

(4) सुश्री श्रुति जैन गोयल, शिक्षित याचिका की अग्रिम प्रति प्राप्त होने पर हरियाणा के उप महाधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से पेश हुए। उसने निर्णयों पर भरोसा किया है अनिल कुमार गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य में उच्चतम न्यायालय राजेश कुमार दरिया बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग 3; सौरव यादव और अन्य। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।, एमए नं. 2641, 2018 की एस. विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 23223 दिनांक 18.12.2020 और अजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 4 और अश्विनी कुमार कौशिक और अन्य बनाम हरियाणा लोक सेवा आयोग 5, यह दावा करना कि आरक्षण की संवैधानिक योजना के तहत, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अनुच्छेद 16 (1) के तहत प्रदान किया गया एक विशेष आरक्षण है जो समान्तरीय प्रकृति का है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि क्षैतिज आरक्षण समग्र आरक्षण हो सकता है यानी खुली प्रतिस्पर्धा श्रेणी और शीर्ष आरक्षण के तहत आरक्षित श्रेणियों के बीच किसी भी उप-विभाजन के बिना या कम्पार्टमेंटल आरक्षण जो खुली और अन्य आरक्षित श्रेणियों के बीच विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित करता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में, समूह I और II के पदों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज में परिवर्तित करके और इसे आरक्षित श्रेणियों के बीच उप-विभाजित करके, राज्य सरकार ने पिछले निर्देशों में दोष को दूर किया है और हरियाणा में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों में तय किए गए कानून के अनुरूप लाया है और इसलिए, विवादित निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का मनमाना या उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

2 1995(4) एससीटी 403:1995(5) एससीसी 173 3 (2007) 8 एससीसी 785

4 2011(20) एससीटी 243 5 2011(1) एससीटी 803 वाया हैडिंग



(5) सबसे पहले, हमें आरक्षण जैसे संवैधानिक मामलों में दलीलों की गुणवत्ता पर अपनी व्यथा व्यक्त करनी चाहिए। आरक्षण प्रदान करने वाले राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों, निर्देशों या परिपत्रों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को बहुत ही अनौपचारिक तरीके से संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा रही है। वर्तमान रिट याचिका भी पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की प्रकृति, संविधान में इसके स्रोत और उसके

कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी अभिवचन से पूरी तरह से रहित है, ताकि दिनांकित 23.01.2018 (P-12) के साथ-साथ 30.04.2018 (P-13) को एक वैध चुनौती दी जा सके, जिसके तहत पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण और सीधे भर्ती में समूह A और B सेवाओं में खुले और आरक्षित श्रेणी के बीच इसके आगे उप-विभाजन के अलावा, पूर्व सैनिकों के लिए पहले से ही उपलब्ध क्षैतिज आरक्षण और समूह C और D सेवाओं में इसके आगे उप-विभाजन के अलावा प्रदान किया गया है।यह ध्यान दिया जाए कि हरियाणा राज्य में सेवाओं की किसी भी श्रेणी में पदोन्नति के माध्यम से नियुक्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

(6) इसलिए हम सबसे पहले संविधान में परिकल्पित आरक्षण की योजना और प्रासंगिक मामले कानून पर संक्षेप में चर्चा करना आवश्यक समझते हैं।भारत के संविधान का अनुच्छेद 14 राज्य को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार करने से रोकता है।अनुच्छेद 15 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा।संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 अपने द्वारा गारंटीकृत समानता के अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से उचित वर्गीकरण को स्वीकार करता है, अनुच्छेद 15 का उपखंड (3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, जबकि अनुच्छेद 15 का उपखंड (4) नागरिकों के किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।अनुच्छेद 16 (4) राज्य को नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण के लिए प्रावधान करने में सक्षम बनाता है, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।अनुच्छेद 16 (1) के तहत वंचित समूहों के लिए तरजीही उपचार के रूप में अनुच्छेद 16 (4) के तहत नहीं आने वाले वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान किया जा सकता है।

(7) संविधान के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में राज्य दो प्रकार के आरक्षण प्रदान करता है; अनुच्छेद 16 (4) में दिए गए ऊर्ध्वाधर या सामाजिक आरक्षण और अनुच्छेद 16 (1) से संबंधित क्षैतिज या विशेष आरक्षण।जबकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण, अनुसूचित



जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अनुच्छेद 16 (4) के तहत प्रदान किया जाता है, राज्य द्वारा अनुच्छेद 16 (1) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट या योग्य खिलाड़ियों के लिए विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है।क्षैतिज आरक्षण का एक और उदाहरण संविधान के अनुच्छेद 15 (3) के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण है।

(8) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की अवधारणा को इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1993 (1) एससीटी 448; 1993 एआईआर एससी 477 में नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है:

“832. हमारा यह भी मानना है कि 50 प्रतिशत का यह नियम केवल अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण पर लागू होता है।इस समय एक छोटा सा स्पष्टीआदेशण दिया जाना आवश्यक है:सभी आरक्षण समान प्रकृति के नहीं हैं।दो प्रकार के आरक्षण हैं, जिन्हें सुविधा के लिए 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' और 'क्षैतिज आरक्षण' के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों (अनुच्छेद 16 (4) के तहत) के पक्ष में आरक्षण को ऊर्ध्वाधर आरक्षण कहा जा सकता है, जबकि शारीरिक रूप

से विकलांगों के पक्ष में आरक्षण (अनुच्छेद 16 के खंड (1) के तहत) को क्षैतिज आरक्षण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।क्षैतिज आरक्षण ऊर्ध्वाधर आरक्षण को काटते हैं जिसे इंटर-लॉक आरक्षण कहा जाता है। अधिक सटीक होने के लिए, मान लीजिए कि 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं, यह अनुच्छेद 16 के खंड (1) से संबंधित आरक्षण होगा।इस कोटे के लिए चुने गए व्यक्तियों को उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा; यदि वह एस. सी. श्रेणी से संबंधित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस कोटे में रखा जाएगा; इसी तरह, यदि वह खुली प्रतियोगिता (ओ. सी.) से संबंधित है। श्रेणी में, उसे आवश्यक समायोजन करके उस श्रेणी में रखा जाएगा।इन क्षैतिज आरक्षणों का प्रावधान करने के बाद भी, नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत बना हुआ है और बना रहना चाहिए।हमारे कई राज्यों में इन आरक्षणों पर इस तरह से काम किया जाता है और इस प्रक्रिया को जारी नहीं रखने का कोई कारण नहीं है।

(9) उत्तर प्रदेश राज्य ने 17 मई 1994 के पत्र के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों, मृत या विकलांग सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों और पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तरांचल क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों के आश्रितों को 15 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण प्रदान किया।

बलवान सिंह और एंदर बनाम हरियाणा राज्य

1073

और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

उक्त पत्र के आधार पर चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए आरक्षण को न्यायालय में चुनौती दी गई थी

स्वाति गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 6, जो इस आधार पर दी गई थी कि मेडिकल कॉलेजों में 65 प्रतिशत सामान्य सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16,14,19 और 21 के तहत संवैधानिक गारंटी और इंदिरा साहनी के मामले में अदालत द्वारा निर्धारित अनुपात का उल्लंघन था। मामले विचाराधीनता रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश राज्य ने 15 प्रतिशत आरक्षण को क्षैतिज बनाते हुए एक और कार्यालय आदेश जारी किया।न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

“3. इसी तरह, सामान्य श्रेणी के लिए 35 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने वाले परिपत्र में अन्य दोष को हटा दिया गया है। ऊर्ध्वाधर आरक्षण अब सामान्य श्रेणी के लिए 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत है। पहले के परिपत्र में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के लिए 15 प्रतिशत का आरक्षण, जिसने ऊर्ध्वाधर आरक्षण के कारण सामान्य श्रेणी को घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया था, अब इसे सभी सीटों पर विस्तारित करने वाले संशोधित परिपत्र में क्षैतिज बना दिया गया है। आरक्षण अब सामान्य श्रेणी में नहीं है। संशोधित परिपत्र में सभी सीटों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है-एक सामान्य और दूसरी आरक्षित।दोनों को 50 प्रतिशत आवंटित किया गया है। परिपत्र के पैराग्राफ 2 में बताया गया है कि जिन उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और वे पैराग्राफ 1 में उल्लिखित श्रेणी के होते हैं, उन्हें सामान्य या पुनः सेवा श्रेणी में समायोजित किया जाएगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस श्रेणी से संबंधित हैं, इस तरह का आरक्षण इंदिरा साहनी (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा कही गई बात के विपरीत नहीं है।” (जोर दिया गया)

(10) अनिल कुमार गुप्ता के मामले (ऊपर) में, न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तरांचल क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए सीटों के आरक्षण के संबंध में मुद्दे पर विचार किया।उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन 7 के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह माना गया कि पहाड़ी क्षेत्रों और उत्तराखंड क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों के पक्ष में सीटों का आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अर्थ के भीतर आरक्षण है, यानी वे नागरिकों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में आरक्षण हैं, हालांकि इसे गलत तरीके से अनुच्छेद 15 (1) के तहत आरक्षण माना गया है। राजेश कुमार दरिया में, 6 (1995) 2 एस. सी. सी. 56

7 (1975) (1) S.C.C. 267 1074

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर विचार किया। न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि यद्यपि महिलाओं के लिए आरक्षण क्षैतिज प्रकृति का है, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ऊर्ध्वाधर आरक्षण के सिद्धांतों को लागू किया है। उक्त मुद्दे पर विचार-विमर्श करते हुए, न्यायालय ने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया के बीच के अंतर को संक्षेप में समझायाः

“7. दूसरा ऊर्ध्वाधर आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति के बीच के अंतर से संबंधित है। अनुच्छेद 16 (4) के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में सामाजिक आरक्षण 'ऊर्ध्वाधर आरक्षण' हैं। अनुच्छेद 16 (1) या 15 (3) के तहत शारीरिक रूप से विकलांग, महिलाओं आदि के पक्ष में विशेष आरक्षण 'क्षैतिज आरक्षण' हैं। जहां अनुच्छेद 16 (4) के तहत पिछड़े वर्ग के पक्ष में ऊर्ध्वाधर आरक्षण दिया जाता है, ऐसे पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार गैर-आरक्षित पदों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और यदि उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर गैर-आरक्षित पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो उनकी संख्या को संबंधित पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कोटे के खिलाफ नहीं गिना जाएगा। इसलिए, यदि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की संख्या, जो अपनी योग्यता से, प्रतियोगिता रिक्तियों को खोलने के लिए चुने जाते हैं, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पदों के प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कोटा भरा गया है।खुला प्रतियोगिता श्रेणी के तहत चयनित लोगों के अलावा पूरा आरक्षण कोटा बरकरार रहेगा और उपलब्ध होगा। [इंदिरा साहनी (सुप्रा), आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य (1995 (2) एस. सी. सी. 745), भारत संघ बनाम विरपाल सिंह चौहान (1995 (6) एस. सी. सी. 684 और रितेश आर. साह बनाम डॉ. वाई. एल. यमुल (1996 (3) एस. सी. सी. 253)। लेकिन ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण पर लागू उपरोक्त सिद्धांत क्षैतिज (विशेष) आरक्षण पर लागू नहीं होगा।जहां अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक आरक्षण के भीतर महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है, वहां योग्यता के आदेश में अनुसूचित जातियों के लिए कोटा भरने और फिर उनमें से उम्मीदवारों की संख्या का पता लगाने की उचित प्रक्रिया है जो 'अनुसूचित जाति-महिला' के विशेष आरक्षण समूह से संबंधित हैं। यदि ऐसी सूची में महिलाओं की संख्या विशेष आरक्षण कोटे की संख्या के बराबर या उससे अधिक है, तो विशेष आरक्षण कोटे के लिए आगे चयन की कोई आवश्यकता नहीं है।केवल अगर कोई कमी है, तो बालवन सिंह और ए. एन. ए. आर. बनाम हरियाणा राज्य की अपेक्षित संख्या

1075

और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

अनुसूचित जाति की महिलाओं को अनुसूचित जाति से संबंधित सूची के निचले भाग से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या को हटाकर लेना होगा। इस हद तक, क्षैतिज (विशेष) आरक्षण ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण से अलग है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर आरक्षण कोटे के भीतर योग्यता के आधार पर चुनी गई महिलाओं को महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के खिलाफ गिना जाएगा।" (ज़ोर दिया गया)

(11) भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण की प्रकृति के संबंध में मुद्दा अजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2011 (20) एस. सी. टी. 243 मामले में इस उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के विचार के लिए आया, जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा निम्नलिखित दो मुद्दों पर एक संदर्भ दिया गया था:(i) भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण की प्रकृति क्या होगी अर्थात क्या वे सामाजिक आरक्षण होंगे या वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (3) और 16 (4) द्वारा अनुध्यात विशेष आरक्षण होंगे? और (ii) क्या भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए आरक्षित पदों को ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर लागू कानून द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करके या क्षैतिज आरक्षण के मामलों में अपनाए गए पाठ्यक्रम का पालन करके भरा जाना चाहिए?

खण्ड पीठइंद्र साहनी; स्वाति गुप्ता, अनिल कुमार गुप्ता; राजेश कुमार दरिया और आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम बालोजी बढावत और अन्य 8 में दिए गए निर्णयों का विस्तार से उल्लेख किया गया है।

और निम्नलिखित सिद्धांतों को तैयार किया:"ऊपर उल्लिखित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित सिद्धांतों को कम किया जा सकता है:(i) शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता सेनानियों और महिलाओं के आश्रितों आदि के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण हैं।(ii) क्षैतिज आरक्षण से संबंधित उम्मीदवार निम्नलिखित तरीके से ऊर्ध्वाधर आरक्षण में कटौती करेंगे:

(क) सबसे पहले मुक्त श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सीटें योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी।

(ख) दूसरा, ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित सीटों को उनके अपने कोटे में योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।

(ग) तीसरा, क्षैतिज आरक्षित श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों की संख्या के बराबर सीटें और भी बाक़ी रहती हैं।

8 (2009) 5 एससीसी 1 1076

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी के भीतर, ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी में उपयोग किया जाएगा।ऊर्ध्वाधर आरक्षित श्रेणी में निम्न उम्मीदवार उसके लिए रास्ता बनाएगा।

(घ) चौथा, यदि क्षैतिज आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई उम्मीदवार आरक्षण की किसी भी श्रेणी से संबंधित नहीं है, तो खुली श्रेणी में एक उम्मीदवार ऐसी आरक्षित श्रेणी के लिए रास्ता बनाएगा ताकि क्षैतिज आरक्षित श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों के कोटे को पूरा किया जा सके।

(ङ) अंत में, महिला उम्मीदवारों के मामले में, जो किसी विशेष आरक्षण या सामाजिक आरक्षण के अंतर्गत आती हैं, ऐसे उम्मीदवार को महिलाओं और सामाजिक आरक्षण दोनों के लिए कोटा निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाएगा।( ज़ोर दिया गया)

(12) उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कांस्टेबलों की भर्ती के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया में, राज्य सरकार ने 'सामान्य महिला श्रेणी' की सीटों के संबंध में 'ओ. बी. सी. महिला श्रेणी' के उम्मीदवारों के दावे पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसे सौरव यादव और अन्य अन्य उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष चुनौती दी गई थी। 9.ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) और क्षैतिज (विशेष) आरक्षण के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए, न्यायालय ने गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, चाहे वे ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज के रूप में इस तरह के आरक्षण का दावा करते हैं, हमेशा अपनी योग्यता के आधार पर खुली श्रेणी से सीट का दावा करने के हकदार हैं, बशर्ते कि उन्होंने कोई विशेष लाभ नहीं लिया हो या उसका लाभ नहीं उठाया हो जो उन्हें खुली/सामान्य श्रेणी में विचार करने से वंचित कर सकता हो।ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण की विशेषताओं और उनकी परस्पर क्रिया को निर्णय के निम्नलिखित पैरास में संक्षेपित किया गया हैः

“52. ऊर्ध्वाधर आरक्षण की विशेषताएं इस प्रकार हैं

(i) उन्हें खुली श्रेणी, या निर्दिष्ट उम्मीदवारों के अलावा अन्य उम्मीदवारों की श्रेणियों द्वारा नहीं भरा जा सकता है और उन्हें केवल संबंधित सामाजिक श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाना है; (ii) मेधावी प्रदर्शन के आधार पर आरक्षित (निर्दिष्ट श्रेणी) से अनारक्षित (खुली श्रेणी) स्लॉट में गतिशीलता ('माइग्रेशन') संभव है।

9 2021(1) एस. सी. टी. 87 बलवान सिंह और ए. एन. डी. एच. आर. बनाम हरियाणा राज्य

1077

और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

(iii) आरक्षित श्रेणी से खुली श्रेणी में स्थानांतरण के मामले में, आरक्षित श्रेणी में रिक्ति को उसी निर्दिष्ट श्रेणी के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भरा जाना चाहिए, जो रैंक में कम हो।

(iv) यदि उम्मीदवारों की कमी के कारण निर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा रिक्तियों को भरा नहीं जा सकता है, तो रिक्तियों को 'आगे बढ़ाया' जाना चाहिए या नियमों द्वारा उचित रूप से निपटा;k जाना चाहिए।

53. दूसरी ओर क्षैतिज आरक्षण, अपने स्वभाव से, अनुल्लंघनीय पूल या पत्थर में नक्काशीदार नहीं हैं।वे अपने ओवरलैप पर आधारित हैं और 'इंटरलॉकिंग' आरक्षण हैं।एक अगली कड़ी के रूप में, उनकी गणना न्यायाधीश ललित के फैसले के पैराग्राफ 11 में स्पष्टता के साथ निर्धारित विभिन्न कदमों को लागू करके अनुल्लंघनीय 'ऊर्ध्वाधर' (या 'सामाजिक') आरक्षण कोटा के साथ समवर्ती रूप से की जानी है।इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।क्षैतिज आरक्षण कोटा भरने के लिए लागू होने वाला पहला नियम समायोजन का है, अर्थात यह जांच

करना कि क्या योग्यता के आधार पर किसी क्षैतिज श्रेणी को खुली श्रेणी में योग्यता सूची में समायोजित किया जाता है, और फिर, विशेष निर्दिष्ट/सामाजिक आरक्षण के भीतर ऐसी क्षैतिज श्रेणी के लिए कोटा में।"

(13) इस प्रकार, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण एक विशेष आरक्षण है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 16 (1) के तहत विचार किया गया है और एक क्षैतिज आरक्षण होने के कारण, यह आरक्षण के भीतर एक आरक्षण है।

(14) श्री खत्री का प्राथमिक तर्क, जो हमारे अनुसार तत्काल याचिका में उठाया गया पहला मुद्दा है कि "समूह ए और बी श्रेणी में सीधी भर्ती में पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण को ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज में परिवर्तित करके, राज्य सरकार ने आरक्षण के भीतर आरक्षण का लाभ गलत तरीके से दिया है, यानी आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को दोहरा लाभ दिया है, जिससे सामान्य श्रेणी से संबंधित पूर्व सैनिकों के प्रति पूर्वाग्रह पैदा होता है", खारिज किया जाना तय है क्योंकि यह न केवल क्षैतिज आरक्षण की प्रकृति और अवधारणा के विपरीत है, जैसा कि यहां ऊपर निष्कर्ष निकाला गया है, बल्कि स्वाभाविक रूप से भी गलत है। क्षैतिज आरक्षण की योजना के तहत आरक्षण का उद्देश्य सेवा प्राप्त श्रेणी के उम्मीदवारों को उनकी संबंधित श्रेणियों तक सीमित करना नहीं है, बल्कि इंदिरा साहनी के पैरा 829 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य अधिकतम आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा के भीतर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करना है। निर्णय के प्रासंगिक पैराग्राफ़, जहाँ तक साम्मति है, निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैः



"829. उपरोक्त चर्चा से जो अटूट निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि अनुच्छेद 16 के खंड (4) में अनुध्यात आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

830. जबकि 50 प्रतिशत नियम होगा, यह आवश्यक है कि इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण स्थितियों को ध्यान से न रखा जाए।ऐसा हो सकता है कि दूर-दराज के और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली आबादी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने के कारण और उनके लिए विशिष्ट और विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता हो, इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है।ऐसा करने में, अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए और एक विशेष मामला बनाया जाना चाहिए।

835. दूसरी ओर थॉमस में रे, सी. जे. द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण है। 50 प्रतिशत नियम की शुद्धता पर विवाद नहीं करते हुए भी वह इसे पूरी सेवा पर लागू करते प्रतीत होते हैं। हमारी राय में, रे, सी. जे. द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अनुच्छेद 16 के अनुरूप नहीं होगा।यह सच है कि पिछड़े वर्ग, जो ऐतिहासिक सामाजिक अन्याय के शिकार हैं, जो अभी तक पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए हैं, राज्य के तहत सेवाओं में उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, लेकिन इस असंतुलन को एक या दो साल में दूर करना संभव नहीं हो सकता है। एक चित्रण लेकर स्थिति को बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है। एक इकाई/सेवा/संवर्ग लें जिसमें 1000 पद हों। अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 50 प्रतिशत है, जिसका अर्थ है कि

1000 पदों में से 500 पद इन वर्गों के सदस्यों के पास होने चाहिए, यानी 270 अन्य पिछड़े वर्गों के पास, 150 अनुसूचित जातियों के पास और 80 अनुसूचित जनजातियों के पास होने चाहिए।मान लीजिए, किसी दिए गए समय पर इकाई/सेवा/श्रेणी में O.B.Cs के सदस्यों की संख्या केवल 50 है, जो 220 की एक छोटी गिरावट है।इसी तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या क्रमशः केवल 20 और 5 है, 130 और 75 की कमी है।यदि पूरी सेवा/संवर्ग को एक इकाई के रूप में लिया जाता है और कार्य संचय को पूरा करने की कोशिश की जाती है, तो खुले प्रतिस्पर्धा चैनल को कई वर्षों तक पूरी तरह से बंद करना पड़ता है जब तक कि सभी पिछड़े वर्गों के सदस्यों की संख्या 500 तक नहीं पहुंच जाती है, यानी जब तक कि उनमें से प्रत्येक के लिए निर्धारित कोटा नहीं भर जाता है। इसमें काफी साल लग सकते हैं क्योंकि हर साल होने वाली रिक्तियों की संख्या ।

1079

और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

बहुत ज़्यादा या अत्याधिक नहीं है इस बीच, खुली प्रतियोगिता श्रेणी के सदस्य आयु वर्जित और अयोग्य हो जाएंगे। उनके मामले में अवसर की समानता केवल एक मृगया बन जाएगी। यह याद रखना चाहिए कि खंड (1) द्वारा आश्वस्त अवसर की समानता देश के प्रत्येक नागरिक के लिए है, जबकि खंड (4) सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने पर विचार करता है।दोनों को एक-दूसरे के खिलाफ संतुलित होना चाहिए। किसी को भी दूसरे को ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।उपरोक्त कारणों से, हमारा मानना है कि 50 प्रतिशत प्रति वर्ष के नियम को लागू करने के उद्देश्य से इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि कैडर, सेवा या इकाई की पूरी ताकत, जैसा भी मामला हो।"

(जोर दिया गया) (15) डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री ,एवं अन्य में हाल ही में दिए गए निर्णय में।, 2020 की सिविल अपील न. 3123 आई डी 2, (2021 ए. एल. एल. एस. सी. आर. 948 के रूप में सूचित) पर निर्णय लिया गया, उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले 2018 के महाराष्ट्र कानून को घोषित किया, जिससे ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षण को क्रमशः 63 प्रतिशत और 62 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया, और पुष्टि की कि कुल आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा अलंघनीय थी।इसने इंदिरा साहनी को 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा पर पुनर्विचार के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण पर 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा समानता को बनाए रखने के लिए है और 50 प्रतिशत की सीमा का भंग जाति शासन पर आधारित समाज का निर्माण करेगा।न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैः

"164. 50 प्रतिशत की सीमा को बदलने के लिए एक ऐसा समाज होना चाहिए जो समानता पर आधारित न हो बल्कि जाति शासन पर आधारित हो।लोकतंत्र हमारे संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है और हमारी मूल संरचना का हिस्सा है।यदि आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से ऊपर जाता है जो कि एक उचित सीमा है, तो यह फिसलन भरा ढलान होगा, राजनीतिक दबाव, इसे शायद ही कम कर पाएगा।इस प्रकार, पूछे गए प्रश्न का उत्तर यह है कि 50 प्रतिशत का प्रतिशत तर्कसंगतता के सिद्धांत पर आया है और अनुच्छेद 14 द्वारा निहित समानता प्राप्त है, जिसमें से अनुच्छेद 15 और 16 पहलू हैं।"

(जोर दिया गया) (16) एक सहायक मुद्दा जिस पर यहां ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि खुली श्रेणी या कोटे के लिए आवंटित सीटों का दावा किसी भी और हर किसी के द्वारा किया जा सकता है जो योग्यता के आधार पर सीट या पद का दावा करने का हकदार है, जिसमें 1080 से संबंधित उम्मीदवार भी शामिल होंगे।

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

आरक्षित श्रेणियाँ। इसके अलावा, खुली श्रेणी उन लोगों के लिए 'आरक्षित' श्रेणी नहीं है जो किसी अन्य आरक्षित श्रेणी से संबंधित नहीं हैं, लेकिन सभी के लिए खुली है।सौरभ यादव (उपरोक्त) मामले में, माननीय न्यायालय ने दोहराया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जैसी आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को खुली या सामान्य श्रेणी के तहत नियुक्त किया जा सकता है, यदि वे अपनी योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, ताकि उन्हें आरक्षित श्रेणी के तहत नहीं गिना जाए।इस सिद्धांत का सारांश उनके अधिपत्य प्रभुता भट ने फैसले के अनुच्छेद 58 में दिया है जो इस प्रकार हैः-

“58. मैं यह कहकर समापन करूंगा कि आरक्षण, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों, सार्वजनिक सेवाओं में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के तरीके हैं। इन्हें कठोर "स्थान" के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जहां एक उम्मीदवार की योग्यता को बंद कर दिया जाता है, यदि राज्य का तर्क स्वीकार किया जाये ऐसा करने से, एक सांप्रदायिक आरक्षण होगा, जहां प्रत्येक सामाजिक वर्ग अपने आरक्षण की सीमा के भीतर सीमित हो जाएगा इस प्रकार यह योग्यता को नकारता है। खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है, और एक उम्मीदवार के लिए इसमें दिखाई जाने वाली एकमात्र शर्त योग्यता है, भले ही किसी भी प्रकार का आरक्षित लाभ उसके लिए उपलब्ध हो, "इसलिए, पहला तर्क असमर्थनीय है और इसलिए खारिज कर दिया गया है।

(17) अब, हम दूसरे मुद्दे की ओर बढ़ेंगे जो हमारे विचार के लिए है वह है की क्या पूर्व सैनिकों के लिए क्षैतिज आरक्षण का अन्य श्रेणियों में उप-विभाजन; ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत खुली श्रेणी और आरक्षित श्रेणियां मनमाना/ एकपक्षीय और क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है?

(17.1) क्षैतिज आरक्षण एक समग्र आरक्षण या बँटा हुआ/विभाजित/खंडिये आरक्षण हो सकता है। समग्र आरक्षण के मामले में, आरक्षण का प्रतिशत बिना किसी उप-वर्गीकरण के निर्धारित किया जाता है और यह खुला और आरक्षित सहित सभी श्रेणियों के लिए 'समग्र' आधार पर प्रदान किया जाता है। इसके विपरीत, खंडीय आरक्षण में, क्षैतिज आरक्षण के लिए आरक्षित सीटों को आनुपातिक रूप से ऊर्ध्वाधर आरक्षण के बीच विभाजित किया जाता है जो प्रत्येक श्रेणी के ऊर्ध्वाधर आरक्षण को एक विशिष्ट प्रतिशत के साथ प्रदान करता है और यह विनिमेय या अंतर-हस्तांतरणीय नहीं है। खंडिये आरक्षण न केवल क्षैतिज आरक्षण के कार्यान्वयन में जटिलताओं को दूर करता है या कम करता है, बल्कि किसी भी आरक्षित श्रेणी या खुली सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाले उम्मीदवार के प्रति पूर्वाग्रह की संभावनाओं को भी समाप्त करता है।

बलवान सिंह और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य

1081

और अन्य (जसवंत सिंह, जे.)

(17.2) अनिल कुमार गुप्ता के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने समग्र आरक्षण के विपरीत श्रेणीबद्ध आरक्षण की अवधारणा को समझाया। न्यायालय ने उदाहरण के साथ यह भी समझाया कि क्षैतिज आरक्षण को निम्नानुसार क्यों विभाजित किया जाना चाहिए।

“17. 17 दिसंबर, 1994 की संशोधित अधिसूचना और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी उपरोक्त शुद्धिपत्र पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हमारी राय है कि इसमें प्रयुक्त अस्पष्ट भाषा को देखते हुए, इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है कि क्षैतिज आरक्षण समग्र आरक्षण हैं या विभाजित आरक्षण।हम इन दोनों अभिव्यक्तियों की व्याख्या कर सकते हैं।जहां क्षैतिज आरक्षण के लिए आरक्षित सीटें आनुपातिक रूप से ऊर्ध्वाधर (सामाजिक) आरक्षणों के बीच विभाजित हैं और अंतर-हस्तांतरणीय नहीं हैं, तो यह विभाजित आरक्षण का मामला होगा।हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हम क्या कहते हैं इसी मामले को लीजिए। कुल 746 सीटों में से 112 सीटें (पंद्रह प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाली) विशेष आरक्षण उम्मीदवारों द्वारा भरी जानी चाहिए। साथ ही, अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में सामाजिक आरक्षण 27 प्रतिशत है जिसका अर्थ है O.B.Cs के लिए 201 सीटें। यदि 112 विशेष आरक्षण सीटों को भी ओ. सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के बीच आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाता है, तो ओ. बी. सी. श्रेणी को 30 सीटें आवंटित की जाएंगी। दूसरे शब्दों में, तीस विशेष श्रेणी के छात्रों को ओ. बी. सी. श्रेणी में समायोजित किया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि ओ. बी. सी. से संबंधित केवल दस विशेष आरक्षण उम्मीदवार उपलब्ध हैं, तो इन दस उम्मीदवारों को निश्चित रूप से ओ. बी. सी. कोटे के बीच आवंटित किया जाएगा, लेकिन शेष बीस सीटों को ओ. सी. श्रेणी में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है (वे केवल ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होंगे) या उस मामले के लिए, किसी अन्य श्रेणी में; यह इस प्रकार होगा कि विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या (373 में से 56) ओ. सी. श्रेणी में उपलब्ध हैं या नहीं। विशेष आरक्षण प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण वर्गों (ओ. सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी.) में एक पानी से तंग डिब्बे होगा।इसके विपरीत, समग्र आरक्षण में जो होता है वह यह है कि विशेष आरक्षण के छात्रों को उनकी संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणी में आवंटित करते समय, विशेष आरक्षण श्रेणियों के पक्ष में समग्र आरक्षण का सम्मान किया जाना बाकी है।इसका मतलब है कि उपरोक्त चित्रण में, शेष बीस सीटों को ओ. सी. श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जिसका अर्थ है कि ओ. सी. श्रेणी में विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की संख्या ।

56+20=76 होगी इसके अलावा, यदि एस. सी. और एस. टी. से संबंधित कोई विशेष आरक्षण उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो एस. सी. और एस. टी. में विशेष आरक्षण उम्मीदवारों के लिए आनुपातिक सीटों की संख्या भी ओ. सी. श्रेणी को स्थानांतरित कर दी जाएगी परिणाम यह होगा कि 112 के अपने कोटे को पूरा करने के लिए 102 विशेष आरक्षण उम्मीदवारों को ओ. सी. श्रेणी में समायोजित करना होगा। इसके विपरीत यह भी हो सकता है, जो आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा। यह निश्चित रूप से स्पष्ट है कि ओ. सी., ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. के बीच अंतर कोटा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

18. अब 17 दिसंबर, 1994 की संशोधित अधिसूचना पर आते हुए, यह कहता है कि "सभी मेडिकल कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों की कुल सीटों पर क्षैतिज आरक्षण दिया जाए।" इन शब्दों की व्याख्या पार्टियों द्वारा दो अलग-अलग तरीकों से की जा रही है:एक कहता है कि यह समग्र आरक्षण है जबकि दूसरा कहता है कि यह वर्गीकृत है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि उपरोक्त विशेष श्रेणियों के तहत चुने गए उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/सामान्य श्रेणियों के तहत रखा जाएगा, जिनसे वे संबंधित हैं।उदाहरण के लिए, यदि आरक्षण के आधार पर चुने गए स्वतंत्रता सेनानी पर निर्भर कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है,

तो उसे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट के खिलाफ समायोजित किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं द्वारा इसे इस पुष्टि के रूप में पढ़ने की मांग की जाती है कि यह विभाजित आरक्षण का मामला हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त अधिसूचना जारी करते समय, सरकार समग्र क्षैतिज आरक्षण और विभाजित क्षैतिज आरक्षण के बीच के अंतर से अवगत नहीं थी।किसी भी तरह से, हो सकता है कि उसके चिंतन में ऐसी स्थिति न रही हो जो अब उत्पन्न हुई है।शायद यही कारण है कि इस पहलू को स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

19. यह बेहतर होता-और प्रतिवादी अपने भविष्य के मार्गदर्शन के लिए ध्यान देते क्षैतिज आरक्षण प्रदान करते समय, उन्हें यह निर्दिष्ट उल्लेखित करना चाहिए कि क्षैतिज आरक्षण एक खण्डिये/ विभाजित है या समग्र है। वास्तव में, यह मान लेना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार "समग्र क्षैतिज आरक्षण" और "विभाजित क्षैतिज आरक्षण" के बीच के इस अंतर से अवगत नहीं थी, क्योंकि स्वाति गुप्ता के फैसले से यह प्रतीत होता है कि पहली अधिसूचना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 मई, 1994 को जारी महिलाओं के लिए तीस प्रतिशत आरक्षण को अन्य आरक्षणों में से प्रत्येक में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए, पिछड़े वर्गों के खिलाफ यह कहा गया था कि उनके पक्ष में आरक्षण का प्रतिशत सत्ताईस प्रतिशत था, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया था कि उनमें से तीस प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित थीं। प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण के खिलाफ, एक समान प्रावधान किया गया था, जिसका अर्थ था कि महिलाओं के पक्ष में उक्त क्षैतिज आरक्षण एक "विभाजित क्षैतिज आरक्षण" होना था। हमारी राय है कि किसी भी जटिलता और समस्याओं से बचने के हित में, यह बेहतर होगा कि भविष्य में क्षैतिज आरक्षण को ऊपर बताए गए अर्थ में विभाजित किया जाए। दूसरे शब्दों में आमंत्रित आवेदन करने वाली अधिसूचना में न केवल क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत होना चाहिए, बल्कि प्रत्येक सामाजिक आरक्षण श्रेणियों में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या भी निर्दिष्ट होनी चाहिए जैसे की एस. टी., एस. सी., ओ. बी. सी. और ओ. सी. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो हमेशा एक या दूसरी ऊर्ध्वाधर आरक्षण श्रेणी के पूर्वाग्रह से पीड़ित होने की संभावना रहती है जैसा कि इस मामले में हुआ है।जैसा कि ऊपर बताया गया/इशारा दिखाया गया है, विशेष आरक्षण के लिए 112 सीटों में से 110 सीटों को अकेले ओ. सी. श्रेणी से हटा दिया गया है-और ओ. बी. सी. या उस मामले के लिए एस. सी. या एस. टी. से कोई भी नहीं। यह किसी भी वर्ष में दूसरे तरीके से भी हो सकता है।"

"20. अब, सीटों को भरने के लिए संशोधित अधिसूचना द्वारा निर्धारित प्रतिक्रिया की यथायता पर आते हुए, पंद्रह प्रतिशत विशेष आरक्षण सीटों को पहले भरने और फिर ओ. सी. (योग्यता) कोटा (उसके बाद ओ. बी. सी., एस. सी. और एस. टी. कोटा) लेने का निर्देश देना गलत था। उचित और सही तरीका यह है कि पहले योग्यता के आधार पर ओ. सी. कोटा (50 प्रतिशत) को भरा जाए। फिर प्रत्येक सामाजिक आरक्षण कोटा, अर्थात एस. सी., एस. टी. और बी. सी. को भरा जाये तीसरा कदम यह पता लगाना होगा कि उपरोक्त आधार पर विशेष आरक्षण से संबंधित कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है। यदि क्षैतिज आरक्षण के लिए निर्धारित कोटा पहले से ही भर दिया गया है तो यह एक समग्र क्षैतिज पुनरुत्थान है-तो आगे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए,। लेकिन यदि यह संतुष्ट भरा गया नहीं है, तो विशेष आरक्षण उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या को लेना होगा और उनसे संबंधित सामाजिक आरक्षण श्रेणियों के लिए उम्मीदवारों की संबंधित संख्या को हटाकर समायोजित/अनुकूलित करना होगा।(यदि, तथापि, यह 1084 का मामला है

आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2021(1)

खंडिये/विभाजित क्षेतिज आरक्षण है तो सत्यापन और समायोजन/आवास की प्रक्रिया जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रत्येक ऊर्ध्वाधर आरक्षण पर अलग से लागू की जानी चाहिए। ऐसे मामले में, विशेष श्रेणियों के पक्ष में पंद्रह प्रतिशत का आरक्षण, कुल मिलाकर, संतुष्ट हो सकता है या संतुष्ट नहीं हो सकता है।)क्योंकि संशोधित अधिसूचना ने सीटों को भरने के एक अलग तरीके के लिए प्रदान किया है, इसने आंशिक रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण स्तिथि योगदान दिया है जहां पूरे विशेष आरक्षण कोटे को आवंटित किया गया है और लगभग विशेष रूप से ओ. सी. कोटे के खिलाफ समायोजित किया गया है।"

(जोर दिया गया) (17.3) इस प्रकार, क्षैतिज आरक्षण समग्र आरक्षण या विभाजित आरक्षण भी हो सकता है और आरक्षित श्रेणियों के बीच समूह ए और बी पदों में पूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण के उप-विभाजन का प्रावधान करने वाले विवादित निर्देशों में कुछ भी मनमाना नहीं है।वास्तव में, अनिल कुमार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, सामान्य श्रेणी से संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा आरक्षण को विभाजित करने के लिए की गई चुनौती न केवल प्रतिकूल है, बल्कि उनके अपने उद्देश्य के लिए प्रतिकूल है।

(18) वर्तमान रिट याचिका में जो तीसरा मुद्दा उठाया गया है, वह यह है कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है, जैसा कि दिनांक 30.04.2018 (P-13) के विवादित निर्देशों में कहा गया है, आगे यह प्रावधान किया गया है कि यदि ऊर्ध्वाधर आरक्षण की उप-श्रेणी वाला कोई भी पूर्व सैनिक उम्मीदवार समूह ए और बी श्रेणी में नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उस विशेष श्रेणी के ई. एस. एम. के लिए आरक्षित रिक्तियों को ऊर्ध्वाधर आरक्षण की संबंधित उप-श्रेणी के उम्मीदवारों में से भरा जाएगा।उदाहरण के लिए, यदि ई. एस. एम. श्रेणी की अनुसूचित जाति से संबंधित उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो पदों को अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों में से भरा जा सकता है।

(18.1) इस मुद्दे पर कि क्या ESM श्रेणी/ HkwriwoZ lSfud श्रेणी के उम्मीदवार (ऊर्ध्वाधर आरक्षण) क्षैतिज श्रेणी की रिक्तियों को भर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुपल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2020 (2) एस. सी. सी. 173 में विचार किया गया है। न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि क्षैतिज श्रेणी के उन रिक्त पदों को ऊर्ध्वाधर आरक्षण उम्मीदवारों/अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा गया था, जो चयन प्रक्रिया को दूषित करने वाले वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि क्षैतिज आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार की नीतियों में से एक यह है कि यदि क्षैतिज आरक्षण पदों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है rks उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार ऊर्ध्वाधर रूप से आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों में से अन्य उपयुक्त उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है। न्यायालय ने अपना निष्कर्ष निम्नलिखित शब्दों में दर्ज किया:" 84.6.संबंधित ऊर्ध्वाधर आरक्षण से उम्मीदवारों द्वारा अधूरे क्षैतिज आरक्षण को भरना सरकार की नीति के अनुसार है और इसमें गलती नहीं की जा सकती है।"

(18.2) इस प्रकार, हम दिनांकित 30.04.2018 (P-13) निर्देशों में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं क्योंकि राज्य सरकार खुले/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंधित योग्य उम्मीदवारों में से पदों को भरने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है, यदि उपयुक्त ई. एस. एम. श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं।

(19) एक अन्य पहलू जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, वह यह है कि क्या आरक्षण की प्रकृति और सीमा को अन्य आरक्षित श्रेणियों के साथ भेदभाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है या क्या आरक्षण के मामलों में समानता हो सकती है? हमारे विचार से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भेदभाव आरक्षण की अवधारणा में ही निहित है। यह स्वयं गैर-समान के अंतर उपचार की अनुमति देता है जिसे सकारात्मक या प्रतिपूरक भेदभाव

कहा जाता है।संविधान राज्य को नागरिकों के पिछड़े वर्गों या समाज के अन्य वंचित या कमजोर वर्गों की पहचान करने का अधिकार देता है, जिन्हें आरक्षण, रियायतों, महत्व या छूट के रूप में अपनी सकारात्मक कार्रवाई द्वारा से अपनी सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए तरजीही उपचार की आवश्यकता होती है। समाज के विभिन्न दलित वर्गों के लिए इस सकारात्मक कार्रवाई की सीमा ऐतिहासिक उत्पीड़न या भेदभाव, सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक पिछड़ेपन जैसे कई निर्धारकों पर आधारित है। आरक्षण संविधान के तहत समानता सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र प्रदान किया गया है और अन्य उत्पीड़ित वर्गों के साथ कुछ विशेषाधिकारों या लाभों का दावा करने के लिए नहीं है। (20) उपर्युक्त निर्णयों और चर्चा के संदर्भ में, हम पाते हैं कि विवादित निर्देश दिनांक 23.01.2018 (पी -12) & 30.04.2018 (पी-13) पूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14 आत्यन्तिक रूप 16 के प्रावधानों के अनुरूप है। इसलिए, वर्तमान रिट याचिका विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

रिपोर्टर

रामपाल

अनुवादक

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्धेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।